न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रकरण सं0 : 27/2015

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रोशनलाल वल्द बनवारीलाल कौम महाजन साकिन भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी

निर्णय **दिनांक : 31/8/18**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त खातेदार ने खातेदारी खेत चक 8 बारानी के खाता संख्या 210/210 में मु.न. 68 किला नं. 4/1 व 7/1 की कुल 0.161 हैक्टर भूमि रोशनलाल वल्द बनवारीलाल कौम महाजन सा. भादरा संलग्न जमाबंदी के खातेदारी बारानी दर्ज रिकार्ड है जिसमें बिना रूपान्तरण के मकानों का निर्माण व अवैध प्लोटिंग का कार्य किया जा रहा है इस गैर कृषिक कार्य के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई स्वीकृति नही ली गई है।

मु.न. 68 में खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषि कृर्षिक कार्यो के लिए खातेदार जवाबदेह है जिसके लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि के खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लघंन किया है।

कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादी द्वारा मु.न. 68 कुल 0.161 हैक्टर भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है।

विवादित कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नही आता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जावे ताकि कोई अन्य खातेदार भी इस प्रकार की कृत्य न कर सके व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने पर रोक लग सके।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 210/210 मु.न. 68 के किला नं. 4/1, 7/1 तादादी 0.161 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी द्वारा गैर कृषि कार्य के रूप में काम में लेते हुए अवैध निर्माण व प्लाटिंग क काम में ली जा रही है तथा भूमि कि किस्म परिवर्तन नही कराई है। ऐसे में वादी सिवाय चक दर्ज करवाने का अधिकारी है?
—वादी

2. आया वाद भूमि का अकृषि प्रयोजन करके प्रतिवादी ने नियमों का उल्लघंन किया है जिसके कारण वादी प्रतिवादी को वाद भूमि से बेदखल करने का अधिकारी है ?
—वादी

3. अनुतोष ?

तनकी कायमी के बाद पत्रावली में वादी संदीप चौधरी पुत्र आर एस चौधरी जाति जाट निवासी हाल तहसीलदार भादरा, तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चक 8 बारानी मु.न. 68 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी चक 8 बारानी खाता संख्या 210/210 प्रदर्श 2, व रिपोर्ट पटवारी हल्का चक 8 बारानी मु.न. 68 प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये।

लिखित बहस राज पैराकार पढ़ी सुनी गई। अपनी लिखित बहस में पैरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार रोशनलाल के विरूद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 2 तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

वादी ने प्रतिवादी रोशनलाल के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी वादभूमि में अकृषि कार्य बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के कर रहा है जो नियम विरूद्ध है, तथा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है सक्षम न्यायालय है।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि खातेदार काश्तकार प्रतिवादी रोशनलाल ने कुल कृषि भूमि 0.161 हैक्टर में अवैध निर्माण एव प्लोटिंग के कार्यो में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश,लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चुंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नही आकर वादी के हस्तगत वाद का कोई खण्डन नही किया है। जिससे वादी का वाद प्रथत दृष्टया साबित होता है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही चक 8 बारानी के खाता संख्या 210/210 के मु.न. 68 के किला नं. 4/1 व 7/1 की कुल 0.161 हैक्टर कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/8/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 27/2015

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रोशनलाल वल्द बनवारीलाल कौम महाजन साकिन भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी पैराकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही चक 8 बारानी के खाता संख्या 210/210 के मु.न. 68 के किला नं. 4/1 व 7/1 की कुल 0.161 हैक्टर कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....31/8/18....... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़